दिनांक 07.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और I4C के अधिकारियों के मध्य साइबर अपराध पर विचार–विमर्श

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अधिकारियों के मध्य कल दिनांकः 06.08.2025 को साइबर अपराध पर विचार विमर्श हेतु पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक का उद्देश्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को मजबूत करना था। दोनों पक्षों ने मिलकर यह विचार किया कि आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए कैसे नई पहलों और बेहतर समन्वय के माध्यम से काम किया जा सकता है। बैठक में मुख्यतः निम्न प्रमुख चर्चाएं हुईः–

➢ **संस्थागत और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा**

- उत्तर प्रदेश में एक विशेष केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई, जो साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच पर केंद्रित होगा।
- इसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को अलग से देखने की भी योजना पर बात हुई।
- साइबर अपराध से जुड़े मामलों में लोगों की शिकायतों को तुरंत दर्ज करने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया शुरू करने की संभावना पर चर्चा हुई।
- इस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी देने के तरीकों पर विचार किया गया।

➢ कामकाज और सेवा व्यवस्था में सुधार

- साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों और जानकारी को बेहतर तरीके से कैसे एकत्र और प्रबंधित किया जाए।
- जिलों में मिल रही शिकायतों की निगरानी और उनके निपटारे की गुणवत्ता को मापने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाने की बात हुई।
- धोखाधड़ी या ठगी के मामलों में पीड़ितों को राहत दिलाने के उपायों पर भी विचार किया गया।

➢ सुरक्षा और नागरिक सहायता

- उन क्षेत्रों की पहचान करने पर चर्चा हुई जहाँ साइबर ठगी सबसे ज्यादा हो रही है और ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की बात हुई।
- लोगों के ठगे गए पैसे की जल्द से जल्द वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित टीम की जरूरत महसूस की गई।

➢ पुलिस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की पहचान और जांच के बारे में विशेष प्रशिक्षण देने की योजना पर चर्चा हुई।
- यह प्रशिक्षण नए भर्ती होने वाले और पहले से सेवा में कार्यरत पुलिसकर्मियों दोनों के लिए होगा।

➢ जन–जागरूकता और नागरिक संवाद

- जिलों में लोगों को साइबर अपराधों से सतर्क करने के लिए अभियान चलाने पर चर्चा हुई, जिसमें पोस्टर, वीडियो और स्कूलों–पंचायतों में कार्यक्रमों की भूमिका पर जोर दिया गया।
- उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले साइबर सुरक्षा अभियानों से जोड़ने की संभावना भी सामने रखी गई।

➢ आगे की दिशा

बैठक में यह सहमति बनी कि साइबर अपराध से निपटने के लिए तीन प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाएः–

1. ऐसे अपराधों की पहचान और रोकथाम
2. पुलिस की तैयारी और प्रशिक्षण
3. जनता के बीच जागरूकता फैलाना

➢ निष्कर्ष

बैठक के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य के बीच साझा प्रयासों की सख्त जरूरत है। दोनों पक्षों ने इस दिशा में आपसी समन्वय बढ़ाने और नियमित संवाद बनाए रखने पर सहमति जताई।

उत्तर प्रदेश पुलिस और I4C की यह साझेदारी आने वाले समय में राज्य को साइबर अपराध से लड़ने के क्षेत्र में एक अग्रणी मॉडल बना सकती है, जिससे देश के अन्य राज्य भी प्रेरणा ले सकते हैं।

UP Cybercrime HQ:
Discussions with I4C

दिनांक 07.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना डौकी

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.08.2025 को थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुण्डौल चौराहा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–मनोज 2–सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सौरभ के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त मनोज के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहाबाद पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डौकी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज निवासी ग्राम कुण्डौल थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

2–सौरभ निवासी ग्राम कुण्डौल थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

जनपद बुलन्दशहर/थाना शिकारपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 09 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **03 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 06/07.08.2025 की रात्रि थाना शिकारपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरानी तहसील के पास बने खंडहर से अभियुक्त

1–सलीम 2–सलाउद्दीन 3–जुनैद 4–अनस को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 5–नावेद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 09 लाख 10 हजार रूपये नगद, 03 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलीम निवासी ग्राम रिवाडा थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–सलाउद्दीन निवासी मोहल्ला मुफ्तीबाड़ा कस्बा व थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर। 3–जुनैद निवासी ग्राम रिवाडा थाना जहॉगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

4–अनस निवासी मोहल्ला कोट शेरखॉ थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

5–नावेद निवासी मोहल्ला कोट शेरखॉ थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लूट के 09 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–03 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आशियाना

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपय कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 07.08.2025 को थाना आशियाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–सुधीर 2–गौरव 3–मो0 जिसान

4–नमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सुधीर के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना आशियाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधीर निवासी मोहल्ला अर्जुन पुरवा थाना कोतवाली सदर, लखीमपुर खीरी।

2–गौरव निवासी गुरट्टा खुर्द थाना खमरिया जनपद लखीमपुर खीरी।

3–मो0 जिसान निवासी मोहल्ला मेहवागंज थाना सदर कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी।

4–नमित निवासी बलरामपुर अस्पताल थाना वजीरगंज, लखनऊ।

बरामदगी

1–लगभग 35 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **05 अवैध शस्त्र तस्कर गिरफ्तार**
- **03 अवैध पिस्टल, 01 अवैध रिवाल्वर**
- **09 अवैध तमंचा, 02 मस्कट विभिन्न बोर**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 06.08.2025 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सन्धावली अण्डरपास के पास अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 05

अभियुक्त 1—आकिब 2—सालिक 3—आरिफ 4—कुश 5—असद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध पिस्टल, 01 अवैध रिवाल्वर, 09 अवैध तमंचा, 02 मस्कट विभिन्न बोर, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आकिब निवासी लखीमपुरा थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2—सालिक निवासी मोहल्ला बनियापाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ।

3—आरिफ निवासी मोहल्ला बनियापाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ।

4—कुश निवासी मोहल्ला खजूरी दरवाजा कस्बा व थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

5—असद निवासी मोहल्ला बनियापाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—03 अवैध पिस्टल, 01 अवैध रिवाल्वर।

2—09 अवैध तमंचा, 02 मस्कट विभिन्न बोर।

3—01 दो पहिया वाहन आदि।

<u>जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कॉलोनी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **32 हजार 250 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.08.2025 को थाना फ्रेण्डस कॉलोनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दतावली नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त अकील उर्फ सानू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 32 हजार 250 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कॉलोनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अकील उर्फ सानू निवासी जूही थाना किदवई नगर कमिश्नरेट कानपुर नगर, हालपता मछरिया थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1—32 हजार 250 रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध स्मैक**
- **2570 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.08.2025 की रात्रि थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम धौलाहेडी नदी पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1—अजीम 2—शाहबाज 3—शाहनूर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध स्मैक, 2570 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीम निवासी गांव खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

2–शाहबाज निवासी घोघरेकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3–शाहनूर निवासी ग्राम जलालपुर डाडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 105 ग्राम अवैध स्मैक।

2–2570 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल आदि।

➢ **जनपद एटा/थाना मलावन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मलावन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/147/148/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वीरपाल 2–ग्रीषबाबू 3–भूपेन्द्र 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————